श्रीमान जी,

2021/317

निवदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी तेजप्रताप सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद अपने भाई नोनिहाल सिंह के पास होने का हलफनामा पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री जंगीर सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 05.11.2018 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 01.12.2019 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 05.11.2018 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान अवतार सिंह पुत्र सतनाम सिंह एवं सतनाम सिंह पुत्र ज्ञान सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है

16/11/21

जिला पंजीयक महोदय